



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-07032026-270743  
CG-RJ-E-07032026-270743

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1140]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2026/फाल्गुन 15, 1947

No. 1140]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2026/PHALGUNA 15, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

कोटा, 6 मार्च, 2026

का.आ. 1192(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 2 के खंड (7क) के अंतर्गत अधिसूचना का. आ. 372(अ). दिनांक 24 जनवरी, 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए, विशेष रेलवे परियोजना, अर्थार्थ "बारां जिले के कोटा-रुठियाई खंड पर समपार संख्या 71 पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण" और "बारां जिले के कोटा-रुठियाई खंड पर समपार संख्या 72 पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण" संबंधित भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II – खंड 3 – उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, उसके अंग्रेजी संस्करण की अधिसूचना में संशोधित किया जाता है-

Pankan Soin को Pankaj Soin पढ़ा जाए।

[कम्प्यूटर न. 300102/फा. सं. ई.-पमरे-केटीटीसी0इंजसी (एमआईसीएस)/5/2025-ओ/ओ उप.मुख्य इंजी/सी- II/कोटा]

पंकज सोईन, मुख्य परियोजना प्रबंधक निर्माण

**MINISTRY OF RAILWAYS****(West Central Railway)****CORRIGENDUM**

Kota, the 6th March, 2026

**S.O. 1192(E).**— In partial modification of notification S.O. No. 372(E) dated 24th January, 2026 of land acquisition for Special Railway project, namely “Kota – Ruthiyai section in Baran District Construction of Road Over Bridge on LC No. 71” and “Kota – Ruthiyai section in Baran District Construction of Road Over Bridge on LC No. 72” under clause (7A) of Section 2 of the Railways Amendment) Act-2008, published in Gazette of India, Extraordinary, part II – section 3 – sub-section (ii), following is hereby corrected in English version of notification-

Pankan Soin is to be read as **Pankaj Soin**.

[Computer No. 300102/F. No. E- WCR-KTTC0ENGC(MICS)/5/2025-O/o DY.CE/C-II/KOTA]

PANKAJ SOIN, Chief Project Manager, Construction